# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सी

तहसीलदार सीकर ग्रामीण बनाम खेत सिंह आदि

किस्म मुकदमा 131, 132 LR Act मु. नं. 98 वर्ष 2025

| दिनांक | आज्ञा-पत्र |
|---|---|
| 08/05/25 | पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त, यात्रा पर/अन्य काय मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/06/25 को पेश हो |
| 18/06/25 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दि० 20/08/25 को पेश हो। |
| 20/08/25 | पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 01/10/25 को पेश हो। |
| 01/10/25 | पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 08/11/25 को पेश हो। |
| 8/11/25 | पत्रावली पेश (3) प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रामपाल सिंह ने धारा 30 के पालन हेतु कोई प्रार्थना न कोई कार्यवाही नहीं चाहते बल्कि निर्णय किया एक बार निर्णय किया प्रार्थी ने नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है अतः हस्तगत पत्रावली को खारिज किया पत्रावली का निस्तारण किया। अतः निर्णय हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही इसी तरह मान ली जाती है पत्रावली [illegible] |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:44:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner